भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *162
(11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत नौकरी के इच्छुक ग्रामीण व्यक्ति

***162. श्री के. राधाकृष्णन:**

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेष रूप से आर्थिक संकट और शहरों से पलायन के दृष्टिगत बढ़ती संख्या में नौकरी के इच्छुक ग्रामीण व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का विस्तार करने के लिए कोई उपाय किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) एवं (ख): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

<u>लोक सभा में दिनांक 11.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 162 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण</u>

(क) और (ख): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005 प्रत्येक परिवार, जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं, को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने का प्रावधान करने वाला अधिनियम है।

मंत्रालय वन क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक अनुसूचित जनजाति परिवार को 50 दिनों के अतिरिक्त मजदूरी रोजगार (निर्धारित 100 दिनों से अधिक) के प्रावधान का अधिदेश देता है , बशर्ते कि इन परिवारों के पास वन अधिकार अधिनियम (एफआरए) , 2006 के अंतर्गत प्रदत्त भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति न हो।

इसके अतिरिक्त, सूखा/प्राकृतिक आपदा प्रभावित अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में 50 दिनों तक का अतिरिक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अलावा , अधिनियम की धारा 3(4) के अनुसार, राज्य सरकारें अपनी स्वयं की निधियों से अधिनियम के अंतर्गत गारंटीकृत अवधि के अलावा रोजगार के अतिरिक्त दिन प्रदान करने का प्रावधान कर सकती हैं।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार ने इस योजना के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अनेक उपाय शुरू किए हैं। इनमें , (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 2005 के प्रावधानों के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए वॉल पेंटिंग सहित उपयुक्त सूचना , शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान शुरू करना, (ii) महात्मा गांधी नरेगा के तहत काम की मांग अपंजीकृत न रह जाए, इसके लिए मांग पंजीकरण प्रणाली के दायरे और कवरेज बढाना, (iii) भागीदारी मोड में योजनाएं तैयार करना और ग्राम सभा में उनको अनुमोदन प्रदान करना तथा (iv) 'रोजगार दिवस' का आयोजन करना शामिल हैं ।

यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम , 2005 के प्रावधानों के अनुसार देश में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को छोड़कर) के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती है। सरकार इसके कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पात्र लाभार्थियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाए।

कोविड-19 महामारी के दौरान , महात्मा गांधी नरेगा योजना ने ग्रामीण समुदायों के लिए सामाजिक सुरक्षा जाल के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 389.09 करोड़ श्रम दिवस सृजित किए गए और 1,11,170.86 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई, जो योजना की शुरुआत के बाद से अब तक की सबसे अधिक राशि है।